

:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :- श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
(प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट)

-:आदेश:-

प्राथी के खाता दूरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ⁹ ~~स/03/म/~~ व भू.अ.नि. ~~34~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चिखली की अनुशंभा के आधार पर राजस्थान भू-संज्ञा अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~रामडा~~ तहसील चिखली जिला डूंगरपुर की जमाबन्दी संवत् 2024-2022 में खाता संख्या 34 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	रामडा	34	देवली पालना हनुडा सीणा	देवली पालना हनुडा सीणा

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
नियंत्रित डूंगरपुर
दिनांक 01/04/22

क्रमांक: 704-706

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चिखली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्राथी श्री ~~देवली पालना हनुडा सीणा~~ को सूचनार्थ।
3. अज्ञेय पत्रावली।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
नियंत्रित डूंगरपुर